

तारीख हुक्म

14/05/19

पत्रावली पैरा 1 वकूलाय फरीकन उपर) प्राची दुंधाराम पुत्र गोपीराम जाति जाट निवासी शाहपुर तहसील खण्डला जिला सीकर में जयि वकील श्री बन्वारी लाल जांगर द्वारा प्राचीन पत्र 0.39 R. 3 व 4 पैरा किया। वकील आवेदन में निवेदन किया कि कृषि भूमि ख. नं. 12, 18, 19, 31 तन ग्राम ^{शाहपुरा} ~~नाहिकरिया~~ तथा कृषि भूमि ख. नं. 100 ता 104/1122, 9 ता 13, 18 ता 23, 27 ता 35, 16, 1, 15 तन ग्राम बिकरिया में मृतक गोपी पुत्र पुता अश्वरी सं. 3 के विरासत का मामला (1) खोलने हेतु स्वगत आदेश से मुक्त किया जावे। वकील आवेदन के प्राचीन पत्र पर वकील प्रतिपक्ष ने अनापत्ति दर्ज करवायी।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। वकील आवेदन का प्राचीन पत्र वकील प्रतिपक्ष की अनापत्ति के आधार पर स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाने पर न्यायक्षेत्र में स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि कृषि भूमि ख. नं. 12, 18, 19, 31 तन ग्राम शाहपुरा तथा ख. नं. 100, 102, 103, 104/1122, 9 ता 13, 18 ता 23, 27 ता 35, 16, 1, 15 तन ग्राम बिकरिया में न्यायक्षेत्र हाजि दस्ता पीत स्वगत आदेश दिनांकित 06/06/2014 से मृतक गोपी पुत्र पुता के

नम्बर व तारीख
अहकाम
में जारी

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तालीम
में जारी हुए

विपस्त का नामान्तरण खोलने की हद तक
मुक्त किया जाता है। शेष लघुगन आदेश
यथावत रहेगा। वास्तु पेश होने पर
क्याम मुकामान (अजामी सं. 3) पत्रावली
दिनांक 27/06/19 को पेश हो।

27⁰⁶/₁₉ पत्रावली पेश हुई। वकुलाग उप.
अनुसन्धित / पीठासीन अधिकारी
को पत्र / अन्य कार्य में व्यस्त।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा
दिनांक 08/08/19 को पेश हो

08⁰⁸/₁₉ पत्रावली पेश हुई। वकुलाग उप.
अनुसन्धित / पीठासीन अधिकारी
को पत्र / अन्य कार्य में व्यस्त।
पत्रावली आदेशानुसार आईन्दा
दिनांक 26/09/19 को पेश हो

26⁰⁹/₁₉ पत्रावली पेश हुई। उक्त में बार-बार
आवाज लगावदि गई। कावजूद अख्त
लगावने वकुलाग उद्यमपत्र उद्यम पत्रकालन
में से कोई भी हाजिर अदालत नहीं आया
है। अतः कार्यवाही उक्त अद्यम घण्टी
खंड अद्यम पेशी में जारी किया जाता
है। पत्रावली फंसल शुमार होकर नम्बर
से काम हो तथा काद तलमील दाखिल
दफ्तर हो। निम्न छले न्यायालय में
सुनाया गया।

सहायक क्लर्क
(फास्ट ट्रेक) खण्डेला